न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/57/2023	2023/323	26.07.2023	26.12.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

--प्रार्थी

बनाम

01. मै0 अकबर किराना स्टोर, बख्तल की चौकी, अलवर।

--अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 8 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6 एचपी भरे हुए 2 खाली) एवं 3 छोटे सिलेण्डर (5 किग्रा), 1 पीतल की बांसूरी एवं 1 छोटा रेग्यूलेटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर —विभागीय प्रतिनिधि

---:: निर्णय ::---

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 8 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6 एचपी भरे हुए 2 खाली) एवं 3 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा), 1 पीतल की बांसूरी एवं 1 छोटे रेग्यूलेटर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 14.12.2022 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं हरिप्रसाद, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु बख्तल की चौकी, अलवर पर पहुंचे। मौके पर श्री अकबर खां पुत्र श्री हिम्मत खां, निवासी पथरेडा का बास, दिवाकरी, अलवर की दुकान मै० अकबर किराना स्टोर, बख्तल की चौकी, अलवर पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 8 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6 एचपी भरे हुए 2 खाली) एवं 3 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा), 1 पीतल की बांसूरी एवं 1 छोटा रेग्यूलेटर मिले। जिनमें से गैस बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर (5किग्रा) में रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। मौके पर 1 पीतल की बांसूरी एवं 1 छोटा रेग्यूलेटर मिला। श्री अकबर खां द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री अकबर खां के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3व7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 8 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6 एचपी भरे हुए 2 खाली) एवं 3 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा), 1 पीतल की बांसूरी एवं 1 छोटा रेग्यूलेटर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 8 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6 एचपी भरे हुए 2 खाली) एवं 3 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा), 1 पीतल की बांसूरी एवं 1 छोटा रेग्यूलेटर को मै० सुमन गैस एजेंसी, दिल्ली रोड, अलवर, जिला अलवर के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 8 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6 एचपी भरे हुए 2 खाली) एवं 3 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा), 1 पीतल की बांसूरी एवं 1 छोटा रेग्यूलेटर को राजसात करने की कृपा करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी बावजूद तलबी/तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थी एवं अप्रार्थी वकील द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित तथ्यो से जाहिर है, कि मौके पर श्री अकबर खां पुत्र श्री हिम्मत खां की दुकान मै० अकबर किराना स्टोर, बख्तल की चौकी, अलवर पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 8 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6 एचपी भरे हुए 2 खाली) एवं 3 छोटे सिलेण्डर (5 किग्रा), 1 पीतल की बांसूरी एवं 1 छोटा रेग्यूलेटर मिले, जिनमें से गैस बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर (5किग्रा) में अवैध रूप से रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। मौके पर 1 पीतल की बांसूरी एवं 1 छोटा रेग्यूलेटर मिला। श्री अकबर खां द्वारा वक्त जांच उक्त घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री अकबर खां के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6—ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6—ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा उक्त 8 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6 एचपी भरे हुए 2 खाली) एवं 3 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा), 1 पीतल की बांसूरी एवं 1 छोटे रेग्यूलेटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 8 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (6 एचपी भरे हुए 2 खाली) एवं 3 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा), 1 पीतल की बांसूरी एवं 1 छोटे रेग्यूलेटर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)